रजिस्ट्री सं० डी० एल०—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

अधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 16, 1998 (वैशाख 26, 1920)
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 16, 1998 (VAISAKHA 26, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

बम्बई, दिनांक 16 मई 1998

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल, 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल, 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8)70/बी/5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के नियम 18 के अनुसरण मार्च, 1998 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद हैं कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तकाल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गयी है। भाग 'क' में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गयी हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गयी हैं।

"सूची क"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	किसके नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार (रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
कानपुर सर्किल					
7.5 प्रतिशत आई०एफ०सी० बांड्स 1997 (द्वितीय शृंखला)					
के०एन० 000009	1,00,000	आर० के० टण्डन	चौबीसवीं छमाही से ब्याज देय	एल०एम०एल० लि० आफिसर्स प्राविडेंट फण्ड ट्रस्ट	महा प्रबंधक आदेश सं० आई० आर० 1371/65 दिनांक 24 मार्च, 1998 (फाईल सं० 09.12.255)
7.25 प्रतिशत आई० एफ० सी० बाण्ड्स 1996					
के० एन० 000088	50,000	एल०एम०एल० लि० आफिसर्स प्राविडेंट फंड ट्रस्ट	तीसवीं छमाई से ब्याज देय	—वही—	—वही—
7.25 प्रतिशत आई० एफ० सी० बाण्ड्स 1996 (द्वितीय शृंखला)					
के०एन० 000045	1,00,000	एल०एम०एल० लि० आफिसर्स प्राविडेंट फन्ड ट्रस्ट	उन्तीसवीं छमाही से ब्याज देय	—वही—	—वही—
गोल्ड बांड 1998 (मुंबई सर्किल)					
बी०बाई०/एल०एल०ए० 000052	1916 ग्राम	आशा मल्होत्रा और चेतन देव	अवधि समाप्ति पर	आशा मल्होत्रा और चेतन देव	मामला सं० 20.04.2038/महाप्रबंधक के दिनांक 4-4-98 के आदेश तथा के० का० डायरी सं० 67 दिनांक 6-4-1998

एन० ए० आहाले
कृते मुख्य महा प्रबंधक

"सूची ख"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	किसके नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार (रों) का/के नाम	जारी किये गए आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड 1980 'ए' शृंखला (चेन्नई सर्किल)					
एम०एस०-037513	7 ग्राम	एस० पोन्नया	24-12-65	पी० राबर्ट	जी० एम० डायरी सं० 79, दिनांक 26-2-1998
6.25 प्रतिशत ऋण 1997 (कलकत्ता सर्किल)					
सी०ए० 001509	रु० 10,000	भारतीय रिजर्व बैंक	द्वितीय अर्ध वर्ष तक का ब्याज अदा किया गया है	इंडियन बैंक	फाईल सं० आई० 2343 दिनांक 13-1-98 का महा-प्रबंधक का आदेश दिखिए दिनांक 13-1-98 का डीवाई०सं०एन०सी० ओ० 1992

एन० ए० आहाले
कृते मुख्य महाप्रबंधक

दी इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया

पी० बी० नं० 7100, इन्द्रप्रस्थ मार्ग

नई दिल्ली-110002, दिनांक 5 मई 1998

सं० 13 सी० ए० (परीक्षा)/ एम०/98--इंस्टीट्यूट की अधिसूचना संख्या 13 सी०ए० (परीक्षा) एम०/98, दिनांक 23 जनवरी, 1998 के आंशिक विस्तार के तहत सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि फाइनल ग्रुप-1 पेपर-4 कारपोरेट लाज एवं सैक्रेटेरियल प्रैक्टिस की 6 मई, 1998 को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है।

उपरोक्त पेपर की यह परीक्षा अब बृहस्पतिवार, 14 मई, 1998 को 8 बजे सुबह होगी, परीक्षा केन्द्रों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परीक्षा प्रवेश पत्र भी वही रहेंगे।

जगदम्बा प्रसाद,
अतिरिक्त सचिव (परीक्षा)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुरशाह जफर मार्ग

नई दिल्ली, अक्तूबर, 1997

सं० एफ० 1-22/93 (सी०पी०पी०-2)--चूंकि विश्व-विद्यालय इस बात से संतुष्ट है कि जनहित की दृष्टि से प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं, स्व-वित्तीयन समविश्वविद्यालयों तथा संयुक्त उद्यम विश्वविद्यालयों म प्रवेश तथा शुल्क को विनियमित करना आवश्यक है;

अतः अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 12-क को उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से तथा संबंधित विश्वविद्यालयों से परामर्श

करने के बाद एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

(1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (प्राइवेट गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश तथा शुल्क का का विनियमन) विनियमावली, 1977 कहा जाएगा ।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

2. प्रयोज्यता

ये विनियम निम्नलिखित पर लागू होंगे :—

(क) विश्वविद्यालयों से संबद्ध तथा "कोई सहायता अनुदान नहीं" आधार पर चल रहे कालेज;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम की धारा 3 के अधीन समविश्वविद्यालय संस्थाएं, यदि ऐसी सस्थाएं केन्द्रीय सरकार के अनुरक्षण अनुदान प्राप्त किए बिना स्व-वित्तीयन आधार पर चल रही हों, उनके नियंत्रणाधीन तथा अनुदान संवितरित करने वाला राज्य सरकार का या सांविधिक निकाय;

(ग) वे विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं या ऐसे विश्वविद्यालय के अनुरक्षण या विकास व्यय के लिए उक्त सरकारों के अनुदान वितरण करने वाले सांविधिक निकाय; और

(घ) किसी प्राइवेट न्यास या सोसायटी या राज्य सरकार के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किए गए विश्वविद्यालय ।

3. परिभाषाएं

जब तक प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में—

(क) "अधिनियम" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) से है ।

(ख) "समुचित प्राधिकारी" का अर्थ केन्द्रीय सरकार, राज्य, आयोग, किसी विश्वविद्यालय या अन्य उस प्राधिकारी से है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी व्यावसायिक शिक्षा संस्था को स्थापित करने या उसे मान्यता प्रदान करने की अनुमति देने के लिए सक्षम हो;

(ग) "आयोग" का अर्थ धारा 4 के अधीन स्थापित किए गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;

(घ) "समिति" का अर्थ यथास्थिति आयोग की स्थायी समिति या राज्य स्तरीय समिति से है;

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी अन्य ऐसे प्राधिकारी से है जिसे आयोग ने छात्रों द्वारा देय शुल्क या शुल्क-मानों को निर्धारित करने या विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं में दाखिले के लिए छात्रों का आबंटन करने के लिए अभिहित किया हो;

(च) "शुल्क"—"संदाद सीटों" या निशुल्क सीटों के संदर्भ में शुल्क का अर्थ सभी संस्थागत शुल्कों से है जिसमें शिक्षा शुल्क भी शामिल है;

(छ) "निःशुल्क सीट" का अर्थ उन सीटों से है जिनके लिए किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने या उसे पूरा करने के इच्छुक छात्र द्वारा उतनी फीस के बराबर फीस देय हो जो उसी प्रकार के अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र में राजकीय कालेजों या संस्थाओं के लिए विनिर्दिष्ट की गई हो ।

(ज) "संस्था" का अर्थ किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध या सरकार या सक्षम सांविधिक निकाय द्वारा अनुमोदित या मान्यताप्राप्त कालेज से है । इसमें अखिल भारतीय तकनीकी परिषद्, भारतीय दंत परिषद् भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् भी शामिल हैं जिनकी स्थापना या निगमन किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किया गया है । इसके अतिरिक्त इसमें धारा 3 के तहत आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम-विश्वविद्यालय घोषित की गई संस्था तथा वे सभी संस्थाएं शामिल हैं जिन्हें धारा 2 के खंड (च) के अधीन मान्यता प्रदान की गई हो और जो शिक्षा प्रदान कर रही हों ।

(झ) "अनिवासी भारतीय" का अर्थ अनिवासी भारतीय से है और "अनिवासी" का अर्थ वही है जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में दिया गया है ;

(ञ) "व्यावसायिक संस्था" में गैर-सहायता प्राप्त वह संस्था शामिल है जो सामाजिक कार्य, गृह विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान, शिक्षा, कम्प्यूटर विज्ञान, वाणिज्य, विधि आदि । इसके अतिरिक्त इसमें वे संस्थाएं भी शामिल हैं जिन पर आयोग द्वारा ये विनियम लागू किए जाते हैं ।

(ट) "संदाय सीट" का अर्थ निःशुल्क सीटों को छोड़कर अन्य सीटों से है जिनके लिए किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने या उसके पूरा करने के इच्छुक किसी छात्र द्वारा देय फीस की राशि इन विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होगी;

(ठ) "धारा" का अर्थ अधिनियम की धारा से है; और

(ड) "छात्र" में वह व्यक्ति शामिल है जो किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में दाखिला लेना चाहता है।

4. प्रवेश

(1) ऐसे छात्र जो छोड़कर जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कला, मानविकी, ललित कला, संगीत सामाजिक विज्ञान, वाणिज्य तथा विज्ञान संकायों में औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रथम डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम शिक्षा मानक) विनियमावली 1985 की अपेक्षाएं पूरी करता है, प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम या स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने का पात्र नहीं होगा।

(2) समुचित प्राधिकारी की पूर्व-अनुमति के बिना कोई भी संस्था कोई भी नया या व्यावसायिक अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी संस्थाओं में किसी शैक्षिक वर्ष के दौरान उपलब्ध सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित करेगा।

(4) सक्षम प्राधिकारी कम से कम तीन प्रमुख समाचार-पत्रों में, जिनमें से एक स्थानीय जनभाषा में होगा, संस्था-वार दाखिले के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या, पाठ्यक्रम के लिए ली जाने वाली फीस (निःशुल्क सीटों तथा संदाय सीटों के लिए अलग-अलग) तथा प्रवेश प्रक्रिया तथा अनुसूची का विज्ञापन देगा।

(5) किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र आमन्त्रित करते समय सक्षम प्राधिकारी निःशुल्क सीटों के आबंटन के लिए अंतिम तारीख निर्धारित करेगा।

(6) सक्षम प्राधिकारी एक विवरणिका (ब्रोशर) जारी करेगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होगा : दाखिले के लिए आवेदन-फार्म, पाठ्यक्रमों का पूर्ण विवरण, उपलब्ध सीटों की संख्या, व्यावसायिक संस्थाओं के नाम और उनकी अवस्थिति, ऐसी संस्था द्वारा ली जाने वाली फीस, प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता शर्तें तथा ऐसी अन्य विवरण जिन्हें सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझता हो।

(7) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रवेश के लिए आवेदन-फार्म में एक कालम होगा जिसमें आवेदक अधिमान्यतः क्रम में यह उल्लेख करेगा कि क्या वह निःशुल्क सीट या संदाय सीट अथवा दोनों सीटों पर दाखिला लेना चाहता है। उसके अतिरिक्त वह संस्थाओं के बारे में भी अपनी पसंद का उल्लेख करेगा बशर्ते कि एक जैसा पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं की संख्या एक से अधिक हो।

(8) यदि सामान्य प्रवेश परीक्षा के परिणामों के आधार पर किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में दाखिला दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी सफल उम्मीदवारों में से उनकी योग्यता स्थान के आधार पर उम्मीदवारों की योग्यता सूची तैयार करेगा।

(9) जहां किसी सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में दाखिला नहीं दिया जाता है वहां किसी अन्य ऐसे मानदंड के आधार पर किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा जिसका निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो;

लेकिन वह ऐसे मानदंड को लागू नहीं करेगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया हो।

(10) यदि कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसका परिणाम कम से कम तीन प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा जिनमें से एक समाचार-पत्र स्थानीय जन भाषा में होगा। परीक्षाफल को संबंधित संस्था (संस्थाओं) के सूचना-पट्टों पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(11) (i) प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में कम से कम 50 प्रतिशत सीटें निःशुल्क सीटें होंगी और शेष 50 प्रतिशत संदाय सीटें।

(ii) निःशुल्क सीटों तथा संदाय सीटों—दोनों की पात्रता मानदंड तथा अन्य शर्तें समान होंगी। लेकिन संदाय सीटों के लिए अधिक फीस अदा की जाएगी।

(iii) व्यावसायिक संस्था के प्रबंधकों को निःशुल्क सीटों या संदाय सीटों पर प्रवेश के लिए अतिरिक्त पात्रता मानदंड या शर्तें लागू करने का हक होगा।

(12) विनिर्दिष्ट समय के भीतर निःशुल्क सीटों के भर जाने के बाद सक्षम प्राधिकारी उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय देते हुए अगली तारीख निर्धारित करेगा जो संदाय सीटों पर प्रवेश लेना चाहते हैं।

(13) (i) उक्षम प्राधिकारी उम्मीदवारों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों सहित उनकी प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगा और उसे प्रकाशित करेगा।

(ii) अंतिम सीट का आबंटन किए जाने के बाद आकस्मिक रिक्तियों या ड्रापआउट

रिक्तियों को प्रतीक्षा-सूची से भरा जाएगा। ये रिक्तियां उस तारीख तक भरी जाएंगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधि सूचित की जाए।

(iii) सक्षम प्राधिकारी कट-आफ तारीख निश्चित करेगा जिसके बाद किसी भी व्यक्ति को दाखिला नहीं दिया जाएगा। ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र से सेमेस्टर या सत्र का अधिकांश पाठ्य-विवरण छूट न जाए।

5. देय फीस के निर्धारण के लिए समितियों का गठन :—

(1) निम्नलिखित के लिए फीस :—

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से संबद्ध व्यावसायिक संस्थाएं;

(ख) ये व्यावसायिक संस्थाएं जो समविश्वविद्यालय हैं;

(ग) ये विश्वविद्यालय जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं या ऐसे विश्वविद्यालयों के अनुरक्षण या विकास व्यय के लिए उक्त सरकारों के अनुदान संवितरक सांविधिक निकाय; और

(घ) वे विश्वविद्यालय जिनकी स्थापना प्राइवेट न्यास या सोसाइटी या किसी राज्य सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई है।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट स्थायी समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :—

(क) आयोग का कोई सदस्य—अध्यक्ष

(ख) (1) आयोग द्वारा नामित एक कुलपति—सदस्य;

(2) तीन विशेषज्ञों का नामन—अर्थशास्त्र, लागत लेखा फर्म तथा संस्थागत वित्त—प्रत्येक में एक एक—आयोग द्वारा किया जाएगा—सदस्य;

(3) विषय का एक विशेषज्ञ—सदस्य।

(4) यदि कोई समविश्वविद्यालय अध्ययन पाठयक्रमों यथा—तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा का संचालन करता है, जिसके लिए एक सांविधिक परिषद है उदा० अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद तथा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद तो ऐसी परिषद का एक नामिती—सदस्य;

(5) सम्बन्धित राज्य सरकार उच्च, तकनीकी या चिकित्सा शिक्षा (संस्था के विशेषता क्षेत्र निर्भर करते हुए) का प्रभारी सचिव या उसका नामिती जिसका पद भारत सरकार के उप-सचिव से कम न हो। उसे सम्बन्धित राज्य में समविश्वविद्यालयों के लिए केवल फीस संरचना को निर्धारित करने के प्रयोजन से सदस्य के रूप में सहयोजित किया जा सकता है;

(6) आयोग का कोई अधिकारी जिसका पद अपर सचिव से कम न हो—सदस्य सचिव

(3) (1) राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध व्यावसायिक संस्थाओं में फीस का निर्धारण राज्य स्तरीय समिति एक समिति द्वारा किया जाएगा।

(2) राज्यस्तरीय समिति जिसका गठन आयोग द्वारा प्रत्येक राज्य में किया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे :—

(क) सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया राज्य के किसी एक विश्वविद्यालय का कुलपति —अध्यक्ष;

(ख) सम्बन्धित राज्य सरकार की उच्च शिक्षा का प्रभारी सचिव—सदस्य;

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकार के वित्त विभाग का सचिव —सदस्य;

(घ) तीन विशेषज्ञ—संस्थागत वित्त, लागत लेखाक्रम तथा अर्थशास्त्र—प्रत्येक में एक आयोग द्वारा नामित किए जाएंगे—सदस्य;

(ङ) विश्वविद्यालयों में से किसी एक विश्वविद्यालय का वित्त अधिकारी जिसको राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा—सदस्य;

(च) संबंधित राज्य सरकार का उच्च या कालेज शिक्षा का प्रभारी निदेशक—सदस्य सचिव

6. समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

(1) आयोग की स्थायी समिति को सचिवालयीन सहायता आयोग का सचिवालय देगा।

(2) राज्य स्तरीय समिति को सचिवालयीन सहायता संबंधित राज्य सरकार का उच्च शिक्षा निदेशालय देगा।

(3) उप पैरा (1), के अधीन गठित की गई स्थायी समिति तथा नियम 5 के उप नियम (2) के अधीन गठित राज्य स्तरीय समिति के पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(4) स्थायी समिति तथा राज्य स्तरीय समिति तीन शैक्षिक वर्षों के अंतराल से फीस संरचना की समीक्षा करेगी।

(5) (i) इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन समितियां अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करने के लिए स्वतन्त्र हैं। लेकिन प्रक्रिया के अनुसार संबंधित संस्थाओं को ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करना अनिवार्य होगा जिसे वे संगत समझती हों।

(ii) समितियों को ऐसी सूचना और ब्यौरा मंगाने का अधिकार भी होगा जिसे वे फीस निर्धारण के लिए संगत समझती हों।

(iii) अपने कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ये समितियां संबंधित सस्थाओं द्वारा अनुपालनार्थ तथा समितियों के कार्य को पूरा करने के लिए समय बद्ध "कार्य कलेंडर" तथा "अंतिम सीमा" निर्धारित करेंगी।

(6) समितियां भिन्न-भिन्न श्रेणी की संस्थाओं के लिए भिन्न-भिन्न दरों या स्केल निर्धारित कर सकती हैं, यदि वर्गीकरण बोधगम्य और वस्तु निष्ठ मानदंड के अनुसार न्यायसंगत हो। विशेषत: समितियां ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं के लिए भिन्न-भिन्न फीस दरें निर्धारित करने के लिए स्वतन्त्र होंगी।

(7) आयोग किसी भी समय समितियों से सूचना एवं वर्गीकरण मंगा सकता है और समितियां ऐसी सूचना तथा वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगी।

(8) प्रभार्य फीस का निर्धारण करते समय, यह सुनिश्चित करना समितियों का कर्तव्य होगा कि फीस संबंधित संस्थाओं के लाभ या वाणिज्य का स्त्रोत नहीं बनती हैं।

6. फीस निर्धारित करने की प्रक्रिया :

(1) इन विनियमों के अधीन एक बार निर्धारित की गई फीस या फीस के स्केल तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होंगे।

(ii) संशोधित फीस केवल नए प्रवेशार्थियों पर लागू होगी।

(2) (i) व्यावसायिक संस्था प्रवेश के लिए विज्ञापन से कम से कम छह महीने पहले आयोग को प्रमाणित डाटा प्रस्तुत करेगा जिसके आधार पर शिक्षा-शुल्क तथा अन्य फीसें निर्धारित की जायेंगी।

(ii) संबंधित समिति संबद्ध व्यावसायिक संस्थाओं से कोई भी डाटा या स्पष्टीकरण मांग सकती है और वह सस्था को उसके द्वारा मूलत: प्रस्तुत किए गए डाटा की अनुपूर्ति करने का उसका आशोधन करने की अनुमति भी दे सकती है।

(iii) नि:शुल्क सीटों, संदाय सीटों तथा अनिवासी भारतीय /विदेशी छात्रों के लिए फीस संरचना का निर्धारण करते समय संबंधित समिति उन पैरामीटरों को ध्यान में रखेगी जो लागत को प्रभावित करते हैं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के संचालन के लिए संस्था का कुल व्यय जिसका परिकलन पिछले दो वर्षों के लेखा-परीक्षित विवरणों के आधार पर किया गया हो तथा अगले तीन वर्षों के लिए समुचित अनुमान।

(iv) जो फीस ली जाएगी उसके सामान्यत: दो वर्ष होंगे यथा—शिक्षा-शुल्क तथा विकास शुल्क।

(v) संस्था के प्रबंधक छात्रों से आवास तथा भोजन का वास्तविक खर्च वसूल कर सकते हैं बशर्ते कि संगत समिति ऐसे खर्च के औचित्य से संतुष्ट हो।

(vi) शिक्षा-शुल्क शिक्षा प्रदान करने के वास्तविक खर्च को पूरा करने के लिए होगा।

(vii) उचित शिक्षा-शुल्क का निर्धारण करते समय समिति निम्नलिखित का ध्यान रखेगी यथा—

(क) शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को बोनस, यदि ग्राह्य हो, समेत वेतन और भत्ते;

(ख) प्रशासनिक सेवाओं का व्यय;

(ग) उपभोज्य वस्तुओं समेत प्रयोगशालाओं के अनुरक्षण की लागत;

(घ) सांविधिक अपेक्षाओं यथा लेखापरीक्षा-शुल्क आदि सहित आकस्मिक व्यय;

(ङ) पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें तथा पत्रिकाएं संप्राप्ति का खर्च ;

(च) किराया तथा प्रशुल्क (टैरिफ) सहित भवनों तथा अन्य परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण; और

(छ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले अन्य आवर्ती व्यय।

(viii) इस उप-विनियम में उल्लिखित पैरामीटरों का ध्यान रखते हुए नि:शुल्क सीट, संदाय सीट धारकों तथा अनिवासी भारतीय/विदेशी छात्रों के लिए उपयुत दरें निर्धारित की जा सकती हैं।

3. (i) आयोग अन्य मदों के लिए स्टाफ तथा व्यय-मानों से संबंधित मानक विनिर्दिष्ट करेगा भले ही इन विनियमों के प्रारम्भ होने की तारीख से ऐसे मानक निर्धारित नहीं किए गए हों।

(ii) यदि आयोग विशिष्ट मात्रात्मक मानक निर्धारित करने में कठिनाई महसूस करता है तो संगत सिमित संबद्ध व्यय की पर्याप्तता तथा औचित्य के बारे में अपने आपको संतुष्ट करेगी।

(iii) मानक विनिर्दिष्ट करते समय आयोग यह सुनिश्चित करेगा प्रदत्त व्यय व्यावसायिक संस्थाओं के प्रबंधक वर्ग के लाभ का जरिया नहीं बनता है।

7. टिप्पणी

जैसाकि भारत के उच्चतम न्यायलय ने "यूनीकृष्णन जे० पी० बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (ए० आई० आर० 1993 उ० न्या० 2178) के मामले में निर्णय दिया है कि इस योजना के अनुसार शिक्षा का वाणिज्यीकरण करना तथा मुनाफा कमाना निषिद्ध है। संबंधित संस्थाओं के लिए यह अनुमति नहीं होगी कि वे निवेशों पर किसी प्रतिफल का दावा करें। बहरहाल इससे परिसम्पतियों के प्रतिस्थापन तथा उन्नयन के लिए संसाधन जुटाने में संस्थाओं के लिए कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि भारत के उच्चतम न्यायालय ने "यूनिकृष्णन" जे०पी० बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (ए० आई०आर०उ० न्या० 2178) के मामले में यह निर्णय दिया था कि निवेशों पर प्रतिफल नहीं कमाया जा सकता, फिर भी उसने निवेश वसूली कर प्रश्न केन्द्रीय सरकार और सांविधिक निकायों पर छोड़ दिया था। अतः यह वांछनीय समझा जाता है कि विकास शुल्क से प्रबंधन के लिए आंशिक पूंजीगत लागत वसूली (निवेश पर प्रतिफल नहीं) उपलब्ध कराई जा सकती है और उसे अनुरक्षण तथा प्रतिस्थापन के लिए एक संसाधन माना जा सकता है।

4. (i) आयोग तीन वर्ष के अंतराल पर विकास शुल्क का निर्धारण कर सकता है और निःशुल्क सीट, संदाय सीट वाले छात्रों तथा विदेशी/अनिवासी भारतीय सीटों के लिए विकास शुल्क की विभिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।

(ii) विकास शुल्क एक समान दरों पर हो सकता है।

(iii) बोधगम्य तथा वस्तुनिष्ठ मानक पर आधारित आयोग विकास-शुल्क के भिन्न-भिन्न स्लेब या दरें निर्धारित करने के प्रयोजन से संस्थाओं को भिन्न-भिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर सकता है।

(vi) विकास-शुल्क की दरें निर्धारित करते समय आयोग प्राइवेट व्यावसायिक संस्थाओं, राज्य सरकारों तथा आम जनता के रुचिबद्ध सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखेगा।

(5) व्यावसायिक संस्था के प्रबधक संस्था के प्रथम दस वर्षों के दौरान पूंजीगत लागत की वसूली के लिए, वसूल किएगए विकास शुल्क की आय के 50 प्रतिशत से अधिक या वास्तविक पूंजीगत लागत (इनमें जो भी कम हो) से अधिक राशि विनियोजित नहीं कर सकते है। शेष राशि का उपयोग उक्त प्रथम दस वर्षों के दौरान उन्नयन तथा प्रतिस्थापन के लिए किया जाएगा। उसके बाद, सम्पूर्ण आय का उपयोग उन्नयन तथा प्रतिस्थापन प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है।

(6) आयोग व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले विकास-शुल्क की अनुमोदित दरों की सूचना समितियों को काफी समय पहले देगा ताकि वे अपनी अधिसूचना में ऐसी दरों को उपयुक्त रूप से शामिल कर सकें।

7. छात्रों का दाखिला

(क) अल्पसख्यक प्रबधन के अधीन संस्थाओं में दाखिले का विनियमन इस प्रकार किया जाएगा :—

(क) अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित तथा प्रशासित व्यावसायिक सस्थाओं में 50 प्रतिशत सीटें सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई योग्यता-सूची के आधार पर भरी जाएंगी। इन 50 प्रतिशत सीटों में से आधी सीटें निःशुल्क सीटें तथा अन्य आधी सीटें संदाय सीटें होंगी।

(ख) शेष 50 प्रतिशत सीटें संस्था के प्रबंधकों द्वारा संबंधित अल्पसंख्यकों समुदाय के उम्मीदवारों में से भरी जाएगी। इनमें आधी सीटें निशुल्कद्ध सीटें और शेष आधी संदाय सीटें होंगी।

व्याख्या—इस खंड के प्रयोजन के लिए संदाय सीटों में विदेशी/अनिवासी भारतीय छात्रों वाली सीटें शामिल लोंगी।

(ग) दाखिला पूरा करने के बाद प्रत्येक अल्प संख्यक व्यावसायिक संस्था सक्षम प्राधिकारी-संबधित विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार को एक विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें प्रबंधकों द्वारा संबधित अल्पसंख्यक समुदायों के उम्मीदवारों से भरी गई 50 प्रतिशत सीटों पर दाखिला किए गए छात्रों का पूरा ब्यौरा होगा।

(2) प्राइवेट व्यावसायिक संस्थाओं को यह अनुमति होगी कि वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के लिए समय-समय पर निर्धारित की गई कुल संस्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिक से अधिक 5 प्रतिशत तक अनिवासी भारतीय/विदेशी छात्रों का दाखिला कर सकती है। यह प्रतिशतता संदाय में सीटों में से होगी। अनिवासी भारतीय/विदेशी छात्रों को योग्यता के आधार पर दाखिला दिया जाएगा। परन्तु उनकी भिन्न-भिन्न प्रकार की पृष्ठ भूमियों की दृष्टि से संबधित व्यावसायिक संस्था का सक्षम प्राधिकारी सभी संगत बातों को ध्यान में रखते हुए इन उम्मीदवारों की योग्यता के संबंध में निर्णय ले सकता है।

(3) (i) उन प्रबन्धकों या परिवार जाति या समुदाय के लिए, जिसने व्यावसायिक संस्था की स्थापना की है, सीटों का कोई कोटा नहीं होगा।

(ii) सक्षम प्राधिकारी अपने विवेक पर ऐसी किसी भी सीट को भर सकता है जो किसी शैक्षिक वर्ष के दौरान पांच प्रतिशत अनिवासी भारतीय कोटा में भरी नहीं गई हो।

(iii) इस उप-विनियमन के अधीन दाखिल किए गए छात्रों से उतनी ही फीस ली जाएगी जितनी कि संदाय सीटों पर न कि अनिवासी भारतीय सीटों पर दाखिल किए छात्रों से ली जाएगी।

(4) प्राइवेट व्यावसायिक संस्थाओं को यह स्वतंत्रता होगी कि वे संविधानिक रूप से अनुज्ञेय उम्मीदवारों यथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों तथा अन्य उम्मीदवारों के लिए संबंधक विश्वविद्यालय को सूचित करते हुए सीटों का आरक्षण कर सकती हैं। यदि ऐसा आरक्षण किया जाता है तो उसकी अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी तथा समुचित प्राधिकारी को ऐसी अधिसूचना को जारी किए जाने से कम से कम एक महीने पहले दी जाएगी जिसके अनुसार इस वर्ग की व्यावसायिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए हो। आरक्षित वर्गों के संबंध में योग्यता नियम का पालन किया जाएगा।

8. निर्वचन

(1) यदि इन नियमों की व्याख्या के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो वह आयोग द्वारा तय किया जाएगा।

(2) आयोग को ऐसे किसी भी संदेह को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने का अधिकार होगा जो इन विनियमों के कार्यान्वियन के संबंध में उत्पन्न हो सकता है।

9. फीस का लेखा रखना

(1) प्रत्येक संस्था में दो अलग-अलग लेखे यथा—अनुरक्षण लेखा और विकास लेखा होंगे।

(2) (i) शिक्षा शुल्क और आवास तथा भोजन प्रभारों की लागत वसूली तथा अन्य विविध आय को अनुरक्षण लेखे में जमा खाते किया जाएगा।

(ii) अनुरक्षण लेखे को दो भागों यथा (क) वेतन तथा भत्ते, और (ख) अन्य व्यय में रखा जाएगा।

(iii) समस्त आवर्ती व्यय अनुरक्षण लेखे से पूरा किया जाएगा और वेतन तथा भत्तों से संबंधित भाग या यथास्थिति अन्य व्यय के अंतर्गत दिखाया जाएगा।

(3) संस्था की स्थापना के प्रथम दस वर्षों में विकास शुल्क से हुई कम से कम आधी आय को विकास लेखे में क्रेडित किया जाएगा। उसके बाद इस लेखे (विकास लेखा) में इस फीस से हुई सम्पूर्ण आय को क्रेडित किया जाएगा। संस्था की विविध प्राप्तियों को भी इसी खाते में क्रेडित (जमा) किया जाएगा। इस फीस से हुई आय का उपयोग उपस्कर, पुस्तकें तथा जर्नलों को मुहैया करने तथा परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए किया जाएगा। प्रबंधक इस लेखे में संकाय सुधार पर किए गए व्यय को नामे डाल सकते हैं।

(4) व्यावसायिक संस्थाओं के लेखाओं की परीक्षा प्रत्येक वर्ष यह सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी कि वित्तीय प्रबंध इन विनियमों के सामान्य ढांचे और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के अनुरूप है।

10. फीस वसूली से संबंधित अन्य प्रक्रियात्मक मामले

(1) (i) एक बार निर्धारित की गई फीस तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ii) सेमेस्टर के लिए फीस की अग्रिम अदायगी की जाएगी।

(iii) प्रत्येक समिति प्रत्येक वर्ष दिसम्बर के महीने में सामान्य सूचना के लिए संबंधित राज्य में परिचालित तीन समाचार-पत्रों में अगले वर्ष के लिए प्रति सेमेस्टर देय कुल फीस की अधिसूचना देगी। प्रत्येक वर्ष समिति तीसरे वर्ष के लिए प्रयोज्य फीस का निर्धारण करेगी।

(2) प्रत्येक वर्ष फीस निर्धारित करते समय समितियां संबंधित व्यावसायिक संस्थानों के अनुरक्षण तथा विकास लेखाओं में अव्ययित राशि, यदि हो, को दर्ज करेगी।

(3) कोई भी व्यावसायिक संस्था—

(i) इन विनियमों में अधिसूचित फीस से अधिक फीस नहीं लेगी।

(ii) इन विनियमों तथा आयोग समय-समय पर जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के उपबंधों के अनुसार रखे जाने वाले अपेक्षित लेखे अवश्य रखेगी।

जी० डी० शर्मा
सचिव
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS,

Mumbai, the 16th May, 1998

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of the 20th April, 1946 (as amended under the Notification No. F(8)/70 B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended March 1988 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and that the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts : List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" the list of securities previously advertised.

LIST 'A'

No. of Security	Value in Rs./Grams.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued.
1	2	3	4	5	6
			Kanpur Circle		
			7.5% IFC Bonds, 1997 (2nd Series)		
KN-000009	1,00,000/-	R. K. Tandon	Interest due from 24th Half year	LML Ltd. Officers Provident Fund Trust	General Manager's Order No. IR.1371/65 dated 24-3-1998 (File No. 09-12-255)
			7.25% IFC Bonds, 1996		
KN-000088	50,000/-	LML Ltd. Officers Provident Fund Trust	Interest due from 30th half year	Do.	Do.
			7.25% IFC Bonds, 1996 (2nd Series)		
KN-000045	1,00,000/-	LML Ltd. Officers Provident Fund Trust	Interest due from 29th half year	Do.	Do.
			Gold Bonds 1998 (Mumbai Circle)		
BY/SLA-000052	1916 gms.	Asha Malhotra and Chetan Dev	On maturity	Asha Malhotra and Chetan Dev	Case No. 20.04.2038 General Manager's orders dated 4-4-1998 C.O. Diary No. 667 dated 6-4-1998

N.A.AHALEY
P.Chief General Manager

LIST 'B'

No. of Security	Value	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. & Date of orders issued
1	2	3	4	5	6
			NDGB 1980 'A' Series (Chennai Circle)		
MS-037513	7 Grams.	S. Ponniah	24-12-65	P. Robert	G. M. Diary No. 79 dated 26-2-1998
			Calcutta Circle 6.25% Loan 1997		
CA-001509	Rs. 10,000/-	Reserve Bank of India	Interest paid upto 2nd half year	Indian Bank	File No. I-2343 General Manager's Order dated 13-1-98 Vide Dy. No. LCO-92 dated 13-1-98

N. A. AHALFY
P. Chief General Manager.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

P. B. No. 7100, Indraprastha Marg.

New Delhi-110002, the 5th May, 1998

No. 13-CA(EXAM)/M/98:—In partial modification of the Institute's Notification No. 13-CA (EXAM)/M/98 Dated the 23rd January, 1998, it is notified for general information that Paper-4- Corporate Laws and Secretarial Practice - Group-I of the Chartered Accountants Final Examination scheduled to be held on 6th May, 1998 stands postponed.

The Examination in the said paper will now be held on Thursday, the 14th May, 1998 at 8.00 A.M. The Venues of the examination will rematn unchanged. Admit Cards already issued would remain valid.

JAGDAMBA PRASAD,
Additional Secretary (Exams.)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Bahadurshah Zafar Marg

New Delhi, the October, 1997

No. F.1-22/93(CPP-2):—Whereas the University Grants Commission is satisfied that it is necessary to regulate admission and levy of fees in private unaided professional educational institutions; self-financing deemed universities and Joint venture universities in public interest;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (i) of sub-section (1) of section 26, read with sub-section (2) of section 12-A, of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission, with the previous approval of the Central Government and after consultation with the Universities concerned, hereby makes the following regulations, namely .—

1. Short title and commencement :—

(1) These regulations may be called the University Grants Commission (Regulation of Admission and Fees in Private Non-aided Professional Institutions) Regulations, 1997.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Applicability :—

These regulations shall apply to :

(a) colleges affiliated to the Universities and operating on 'no grant-in-aid' basis;

(b) institutions deemed to be universities under section 3 of the Act, if such institutions operate on self-financing basis without receiving maintenance grants from the Central Government, any State Government or any statutory body under their control and disbursing grants;

(c) Universities not receiving grant-in-aid from the Central Government or any State Government or any grant disbursing statutory bodies of such Governments for the maintenance or development expenditure of such universities; and

(d) Universities established as a Joint venture between a private trust or society and a State Government.

3. Definitions:—

In these regulations, unless the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);

(b) "appropriate authority" means the Central Government, a State, the Commission, a University or other authority which under any law for the time being in force, is competent to grant permission to establish, or to grant recognition to, a professional educational institution;

(c) "Commission" means the University Grants Commission established under section 4;

(d) "Committee" means the Standing Committee of the Commission or the State Level Committee, as the case may be;

(e) "competent authority" means the University Grants Commission, the Central Government, a State Government or a University or any other authority, as may be designated by the Commission, to determine the fees or scales of fees payable by students and the allotment of students for admission to various professional institutions;

(f) "fees", in relation to payment seats or free seats means all the institutional fees including tuition fee and development fee;

(g) "Free Seats" means the seats on which the fee payable by a student seeking admission to, and prosecution of, a course of study at a level corresponding to the fees as specified for the Government colleges and institutions in the concerned State or Union territory in respect of similar courses of study;

(h) "institution" means a college affiliated to a University or approved or recognised by Government or any competent statutory body, including the All India Council for Technical Education, Dental Council of India, Medical Council of India and National Council for Teacher Education, established or incorporated by, or under, a Central Act or a State Act, and includes an institution deemed to be a University declared by the Central Government on the recommendation of the Commission under section 3 and all institutions recognised by the Commission under clause (f) of section 2 and imparting education;

(i) "NRI" means a Non-Resident Indian and the Expression "non-resident" has the same meaning as assigned to it under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(j) "professional institution" includes any private unaided institution imparting education in Social work Home Science, Library Science, Education, Computer Science, Commerce, Law and the like and includes such other institituion to which these regulations are made applicable by the Commission;

(k) "Payment Seats" means seats other than Free Seats and for which fee payable by a student seeking admission to, and prosecution of, a course of study shall not exceed the limits specified under these regulations;

(l) "section" means a section of the Act; and

(m) "student" includes a person seeking admission in a course of study.

4. Admission:-

(1) No student other than a student who fulfils the requirements of the University Grants Commission (the minimum standards of instructions for the grant of first degree through formal education in the faculties of Arts, Humanities, Fine Arts, Music, Social Sciences, Commerce and Sciences) Regulations, 1985, shall be eligible for admission to a first degree course or to a post-graduate level profesisonal course of study.

(2) Without the previous permission of the appropriat authority, no institution shall start a new or higher professional course of study.

(3) The competent authority shall call for applications for admission to the seats available in any academic year in the institutions.

(4) The competent authority shall advertise in at least three leading newspapers out of which one shall be in a local vernacular language, the number of seats available for admission institution-wise, the fees to be charged for the duration of the course separately for both Free Seats and Payment Seats, and the procedure and schedule for admission.

(5) At the time of inviting applications for admission in any course of study the competent authority shall fix a last date for the allotment of Free Seats.

(6) The competent authority shall issue a brochure containing the application form for admission, full particulars of the courses, number of seats available, names of the professional institutions and their location, the fees chargeable by each professional institution, the minimum eligibility conditions for admission and such other particulars as may be deemed necessary by the competent authority.

(7) The application form for admission issued by the competent authority shall contain a column wherein an applicant shall indicate the order of preferences, whether he wishes to be admitted against a Free Seat or a Payment Seat, or both, as well as the preference of institutions, in case of more than one institution is offering the same course.

(8) In case the admission to a course of study is given on the basis of results of a common entrance examination, the competent authority shall prepare a merit list of candidates from amongst the successful candidates based on their merit position.

(9) Where the admission to a course of study is not based on a common entrance examination, admission shall be given to the course of study on the basis of such other criteria as may be determined by the competent authority:

Provided that no such criterion as has not been notified by the competent authority shall be applied by him.

(10) The result of the entrance examination, if any, held shall be published in at least three leading newspapers, one of which shall be in local vernacular language and shall also be displayed on the notice boards of the concerned institution(s).

(11) (i) At least 50 per cent of the seats in every professional institution shall be Free Seats and the remaining 50 per cent be Payment Seats.

(ii) The criteria of eligibility and other conditions shall be the same in respect of both Free Seats and Payment Seats except that the higher fee is to be paid for Payments Seats.

(iii) The management of a professional institution shall not be entitled to impose any additional eligibility criteria or conditions for admission either to Free Seats or Payment Seats.

(12) After the Free Seats are filled within the specified time, a further date shall be fixed by the competent authority giving time to the candidates who opt to be admitted against the Payment Seats.

(13) (i) The competent authority shall also prepare and publish a waiting list of candidates alongwith the marks obtained by them in the entrance examination.

(ii) After the allotment of the last seat is made, the waiting list shall be operated for filling any casual vacancies or drop-out vancancies. These vacancies, shall be filled until such date, as may be notified by the competent authority.

(iii) The competent authority shall decide a cut-off date beyond which no one shall be admitted so as to ensure that a student does not miss a good part of the syllabus of the semester or term.

5. Constitution of Committees for fixation of fees payable:

(1) The fees for:

(a) professional institutions affiliated to Central Universities;

(b) any professional institutions which are deemed to be Universities;

(c) Universities not receiving grant-in-aid from the Central Government or any State Government or any grant disbursing statutory bodies of such Governments for the maintenance or development expenditure of such Universities; and

(d) Universities established as a joint venture between a private trust or society and a State Government.

(2) The Standing Committee referred to in sub-regulation

(1) shall consist of:

(a) A Member of the Commission Chairperson;

(b) (i) One Vice-Chancellor to be nominated by the Commission-Member,

(ii) Three experts, one each in Economics, Cost Accountancy and Institutional Finance, to be nominated by the Commission-Members;

(iii) One Expert in the subject area-Member.

(iv) In case a deemed university conducts courses of study such as technical education, medical education and teacher education of which there is a statutory council, for example, the All India Council for Technical Education, Medical Council of India, Dental Council of India and the National Council for Teacher Education, a nominee of such Council-Member;

(v) Secretary in charge of Higher, Technical or Medical education (depending on the field of specialization of the institution) of the concerned State Government or his nominee who is not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India may be co-opted as a member for the purposes only of determining the fee structure for deemed universities in the State concerned;

(vi) An officer of the Commission not below the rank of Additional Secretary-Member-Secretary.

(3) (i) The fees in professional institutions affiliated to State Government Universities shall be determined by a Committee called the State Level Committee:

(ii) the State Level Committee which may be constituted in every State by the Commission shall consist of:

(a) Vice-Chancellor of one of the Universities in the State nominated by the State Government concerned-Chairperson,

(b) Secretary incharge of Higher Education of the State Government concerned-Member;

(c) Secretary of the Finance Department of the State Government concerned-Member;

(d) Three experts, one each in Institutional Finance, Cost Accountancy and Economics to be nominated by the Commission-Members;

(e) A Finance Officer of one of the Universities to be nominated by the State Government-Member; and

(f) Director in charge of Higher or Collegiate Education of the State Government concerned-Member-Secretary.

6. Procedure to be adopted by the committees.

(1) Secreterial assistance to the Standing Committee of the Commission shall be given by the Secreteriat of the Commission.

(2) Secreterial assistance to the State Level Committee shall be given by the Directorate of Higher Education of the State Government concerned.

(3) The term of office of the Members of the Standing Committee constituted under sub-rule (1), and the State Level Committee constituted under sub-rule (2), of rule 5, other than the ex-officio Members shall be three years.

(4) The standing Committee and the State Level Committee shall review the fee structure at an interval of three academic years.

(5) (i) Subject to provisions of these regulations, the Committees are free to advice their own procedure. The procedure shall, however, compulsorily include giving opportunity to the institutions concerned to furnish such material as they may consider relevant.

(ii) The Committees shall also have power to call for such information and details as they may consider relevant for fixation of fees.

(iii) For the purpose of carrying out its functions effectively, the Committees shall lay down a time bound 'action-calendar' and 'dead-lines' for compliance by the institutions concerned and for completing tasks of the Committees.

(6) The Committees may determine different rates or scales of fees for different classes of institutions, if a classification is justified on intelligible and objective criteria. In particular, the Committees shall be free to fix different rates for institutions located in rural areas and urban areas.

(7) The Commission may at any time call for information and clarifications from the Committees and the Committees shall be bound to furnish such information or clarification.

(8) While determining the fee chargeable, it shall be the duty of the Committees to ensure that the fee does not become a source of profit or commercialisation for the institutions concerned.

6. Procedure for determining fees—

(1) (i) Fees or the scales of fees once prescribed under these regulations shall be valid for a period of three years.

(ii) The fees when revised shall be applicable only to new entrants.

(2) (i) A professional institution shall submit to the Commission at least six months before the advertisement for admission, authentic data on the basis of which the tuition and other fees are to be determined.

(ii) The concerned Committee may seek any data or clarification from the concerned professional institutions and may also allow the institution to supplement or modify the data submitted by it originally.

(iii) While deciding the fee structure for Free Seats, Payment Seats and NRI/Foreign students, the concerned Committee shall, take into consideration, the parameters which affect the cost, the total expenditure of the institution for running the professional course as computed on the basis of audited statements of the previous two years and reasonable projected estimation for the next three years.

(iv) The fees to be charged shall have two broad categories, namely, tuition fee and development fee.

(v) The management of the institution may realise the actual cost of board and lodging from the students subject to the relevant Committee being satisfied about the reasonableness of such costs.

(vi) The tuition fee shall be to meet the actual cost of imparting education.

(vii) While assessing a fair tuition fee, the Committee shall take into account the following, namely:

(a) Salary and allowances including bonus, if admissible, payable to teaching and non-teaching employees;

(b) expenditure on administrative services;

(c) cost of maintenance of laboratories including consumables;

(d) contingent expenditure including statutory requirements like audit fee, and the like;

(e) cost of acquisition of books and journals for libraries;

(f) maintenance of buildings and other assets including rents and tariffs; and

any other recurring expenditure to be determined by the competent authority, from time to time.

(viii) Having due regard to the parameters mentioned in this sub-regulation, suitable rates may be fixed for holders of Free Seats, Payment Seats and NRI/Foreign students.

(3) (i) The Commission shall specify norms relating to staffing and scales of expenditure for other items wherever such norms have not been laid down till the date of commencement of these regulations.

(ii) In case the Commission finds it difficult to laydown specific quantified norms, the relevant Committee shall satisfy themselves about adequacy and the reasonableness of the expenditure invol.

(iii) While specifying the norms, the Commission shall ensure that the projected expenditure does not become a source of profit to the management of the rpofessional institutions.

7. Note-

As the scheme laid down by the Supreme Court of India in Unnikrishnan J.P. Versus State of Andhra Pradesh (A.I.R. 1993 S.C. 2178) prohibits commercialization of education and profit making, it shall not be open to the institutions concerned to claim any return on investments. This may, however, not come in the way of the institutions inmobilizing resources for the replacement and upgradation of assets. Further, while earning returns on the investment would not be permissible as per the judgement and order of the Supreme Court of India in Unnikrishnan J.P. versus State of Andhra Pradesh (A.I.R. 1993 SC 2178), the court had, left the question of recovering investment on the Central Government and the statutory bodies. It is, therefore, considered desirable that the development fee could provide for an element of partial capital cost recovery to the Management (but not a return on investment) and to serve as a resource for upkeep and replacement.

(4) (i) The Commission shall at an interval of three years determine the development fee and different rates of development fee may be specified for students of Free Seats, Payment Seats and Foreign/NRI seats.

(ii) The development fee may be at flat rates.

(iii) Based on intelligible and objective criteria, the Commission may classify the institutions into different categories for the purpose of prescribing different slabs or rates of development fees.

(iv) While determining the rates of development fees, the Commission shall take into account the views and suggestions of the private professional institutions, the State Governments and interested members of the general public.

(5) No management of a professional institution shall, in the first ten years of its establishment, appropriate more than fifty per cent of the proceeds of the development fee levied or the actual capital cost, whichever is lower, for the recovery of the capital cost. The remaining amount shall be utilized for upgradation and replacements in the said first ten years and, thereafter, the entire proceeds may be utilized for upgradation and replacement purposes.

(6) The Commission shall communicate the approved rates of development fee chargeable by the professional institutions to the Committees well in advance so as to enable them to suitably incorporate such rates in their notification.

7. Admission of students.-

(1) Admission in institutions under the management of minority shall be regulated as under :-

(a) 50 per cent. of the seats in professional institutions established and administered by a minority shall be filled on the basis of merit list prepared by the competent authority. Out of these 50 per cent seats, half shall be Free Seats and the other half shall be Payment Seats.

(b) The remaining 50 per cent. of seats shall be filled by the management of the institution from amongst the candidates belonging to the concerned minority community out of which half shall be Free Seats and other half shall be Payment Seats.

Explanation. - For the purposes of this clause, Payment Seats shall include seats for Foreign, NRI students.

(c) After completing the admission, each minority professional institution shall submit to the competent authority, the concerned University and the cyncerned State Government, a statement containing full particulars of the students admitted against 50 per cent. seats filled up by the management from amongst the candidates belonging to the concerned minority.

(2) Private Professional nstitutions shall be permitted to admit the NRI,foreign students upto a maximum of 5per cent. of the total sanctioned in take capacity to be determined from time to time by the competent authority for each academic year. This percentage shall be out of Payment Seats. The NRI Foreign students shall be admitted on the basis of merit. But, in view of the difference in their backgrounds the competent authority of the professional institution concerned may judge the merit of these candidates, having regard to all the relevant factors.

(3) (i) There shall be no quota of seats for the mangement or for any family, caste or community which had established the professional institution.

(ii) The competent authority may, at its discretion, fill any seat which may remain unfilled in five per cent. NRI quota id any academic year.

(iii) The fees chargeable from the students admitted under this sub-regulation shall be the same as chargeable for the students admitted against Payment Seats and not against the NRI seats.

(4) It shall be open to the private professional institutions to provide for reservation in seats for constitutionally permissible classes of candidates such as the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes and others under intimation to the affiliating University. Such reservations, if any made, shall be notified to the competent authority and the apppropriate authority at least one month prior to the issuance of the notification calling for applications for admission to such category of professional institutions. In such cases, the competent authority shall allot students, keeping in view the reservations provided by a professional institution. The rule of merit shall be followed even in such reserved categories.

8. Intepretation.

(1) If any question arises as to the interpretation of these regulations, shall be decided by the Commission.

(2) The Commission shallehave the power to issue clarifications to remove any doubt which may arise in regard to the implementation of these regulations.

9. Maintenance of account of fees.—

(1) Every Institution shall maintain two separate accounts, namely, the Maintenance Accounts and the Development Accounts.

(2) (i) The proceeds of tuition fee and cost recoveries of board and lodging charges and other miscellaneous fees shall be credited to the maintenance accounts.

(ii) The maintenance accounts shall be kept in two parts, namely, (a) the pay and allowances, and (b) the other expenditure.

(iii) All recurring expenditure shall be met from the maintenance account and brought to account in the part relating to pay and allowances, or as the case may be, under the other expenditure.

(c) At least half of the proceeds of development fee shall be credited to the development account in the first ten years of establishment of the institution, after which this Account (Development Account) will receive the entire proceeds of this fee. Miscellaneous receipts of the institution would also be credited to the same account. The proceeds of this fee would be utilized for the procurment of equipment, books and journals, and the acquisition of assets. The management may debit expenditure on improvement of faculty to this account.

(d) The accounts of the professional institutions shall be audited every year to ensure that the financial management conforms to the broad framework of these regulations and the guidelines issued by the Commission from time to time.

10. Other procedural matters connected with levy of fees.

(1) (i) Fees once fixed shall be valid for a period of three years.

(ii) Fee may be payable in advance for a semester.

(iii) Each Committee shall notify in the month of December every year, for general information, the total fee payable per semester for the next year, in three news papers having circulation in the State concerned. Every year, the Committee shall fix the fees applicable for the third year.

(2) While fixing the fees, every year, the Committees shall take into account the unspent balance, if any, in the maintenance and development accounts of the concerned professional institutions.

(3) No professional institution shall:-

(i) levy any fee exceeding the fee notified under these regulations.

(ii) fail to maintain accounts required to be maintained as per the provisions of these regulations or the guidelines issued by the Commission.

G.D. Sharma
Secretary
University Grants Commission

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1998